न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 80/2025 G.C.M.S. No. 2025/363 दर्ज दिनांक : 27.06.2025

अपीलार्थी:

दल सिंह पुत्र अमर सिंह, जाति राजपुत निवासी बागोड़ा तहसील बागोड़ा

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गणपत सिंह पुत्र भुर सिंह
2. वाग सिंह पुत्र गणपत सिंह
3. जीव सिंह पुत्र देवी सिंह
4. बग सिंह पुत्र भेर सिंह
5. दरिया कंवर पत्नी भेर तमाम जातियान राजपुत निवासी बागोड़ा तहसील बागोड़ा जिला जालोर
6. भूमिधारी तहसीलदार बागोड़ा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2022 बअनवान गणपत सिह बनाम जीव सिंह वगैरह में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 20.06.2025

पैरोकार–

1. श्री केराराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2022 बअनवान गणपत सिंह वगैरह बनाम जीव सिंह वगैरह में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

हस्तगत प्रकरण में वादीगण (रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2) ने अदालत मातहत में इस मजमुन का वाद पेश किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी सामलाती अविभाजित खातेदारी आराजी सरहद मौजा बागोडा के खाता संख्या 956 जिसके नये खसरा नम्बर 2597/2479 रकबा 0.5404 हैक्टेर किस्म बारानी सोयम की आराजी स्थित है जिसमे रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 का 170/1351 व रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 02 का 510/1351 हिस्सा है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 का 450/1351 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 04 का 85/1351 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 05 का 85/1351 हिस्सा है व अपीलांट का 51/1351 हिस्सा है। उक्त बंट मौके पर मौखिक तौर पर आपसी सहमति से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 तक के पूर्वाधिकारी द्वारा आज से करीब 50 वर्ष पूर्व में किया जा चुका है। जो मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी

काबिज काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बगैर ही अपीलांट की साक्ष्य बंद कर जैर अपील निर्णय व डिक्री आनन–फानन में पारित की गई हैं। अदालत मातहत ने मात्र वादीगण की साक्ष्य लेकर वादीगण की साक्ष्यों का विवेचन करते हुये गलत रूप से निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी व वाख्यांती भूल की हैं। मौके पर पूर्व मे किसी तरह का आपसी सहमति से कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा अपीलांट की भूमि काश्त के योग्य नहीं हैं। क्योंकि उक्त भूमि रहवास के उपयोग में आने तक की भूमि आती हैं। जिससे अपीलांट को उक्त भूमि अन्दर की तरफ दी गई तो न तो काश्त के लिए व न ही रहवास के लिए उपयोग में आयेगी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 02 ने कभी भी आपसी सहमति से बंटवाडा करने का अपीलांट को नहीं कहा क्योंकि रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 व 02 सड़क पर ज्यादा भूमि लेने के लिए यह गलत रूप से अदालत मातहत के समक्ष गलत तथ्य वर्णित करते हुये निर्णय जैर अपील पारित करवाई हैं। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार बागोडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को मौके पर उपस्थित रहने बाबत् कोई नोटिस प्रेषित किया गया तब अपीलांट दिनांक 02.06.2025 को पूरे दिन मौके पर उपस्थित रहा बावजूद वहां पर कोई भी कार्मिक उपस्थित नहीं हुये तथा बाले–बाले विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर भी नहीं करवाए तथा एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बागोडा द्वारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाया गया। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही अंतिम निर्णय व डिक्री आनन–फानन में पारित की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपीलाण्ट्स व दीगर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध दावा बाबत् विभाजन खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2025 से निर्णय व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2025 को वादग्रस्त आराजीयात का रास्ते की सुविधा का ध्यान में रखते पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तथा कब्जाकाश्त के अनुसार विभाजन हेतु प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

डिक्री पारित कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबंधित पक्षकारान् को बखूबी नोटिस जारी किये गये। अतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालना किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा तैयार किया है। विभाजान के लिए प्रस्तावित एकमात्र खसरा सख्या 2597/2479 की आराजी है। उक्त आराजी रास्ता संख्या 1278 से लगते हुए स्थित है। विभाजन प्रस्ताव द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण को हिस्से के अनुपात में रास्ते से लगती हुयी एवं आगे की भूमि प्रस्तावित की गयी। साथ ही किसी भी सहखातेदार को हिस्से से अधिक भूमि भी प्रस्तावित नहीं की गयी है। अतः स्पष्ट है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः इस संबंध मे अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

3. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि अपीलांट प्रतिवादी का हिस्सा का विभाजन नहीं कर सामलाती रख दिया गया है तथा इस संबंध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी। जिसे दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। जो काबिल अपास्त है, के संबध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलांट प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपने जवाबदावे अपने हिस्से का विभाजन का किए जाने की मांग नहीं की गयी, बल्कि इसके विपरीत वादीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वादपत्र को खारिज किए जाने की मांग की गयी। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील के स्तर पर उक्त उज्र लिए जाने का कोई अधिकार नहीं है तथा अपीलांट द्वारा जो अनुतोष मांगा ही नही गया। अधीनस्थ न्यायालय उसे प्रदान नहीं कर सकता। अतः इस संबध में अपीलाट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2022 बअनवान गणपत सिंह वगैरह बनाम जीव सिंह वगैरह में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 20.06.2025 की

राजस्व अपील प्राधिकारी

पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली